**उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील**

आदरणीय उच्च न्यायालय ....................

द्वितीय अपील सं. ............. सन्.............

(धारा 100, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन)

..............................................अपीलार्थी

**बनाम**

.............................................प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

.........................................प्रोफार्मा वादी/प्रत्यर्थी

सेवा में,

उच्च न्यायालय...................के आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति तथा उसके साथी न्यायाधीशगण।

श्री....................मूलवाद सं. ........ में निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत होने वाले............ तथा एक दूसरे के बीच सिविल अपील सं. ...........सन्......... में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश ....... के निर्णय एवं डिक्री दिनांकित ......... के विरुद्ध द्वितीय अपील के अन्य आधारों के बीच निम्नलिखित पर सादर प्रस्तुत किया जाता है

अपील का मूल्यांकन मूलवाद में मूल्यांकन के अनुसार ....................रुपये...............है.

संदाय की गयी न्यायालय फीस..........रुपये

**अपील के आधार**

1. क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील में विनिश्चय के लिए वादविषयों की विरचना नहीं की है और मुद्दे में एक असुसंगत एवं अपवंचन कार विषय पर मात्र जोर दिया है।
2. क्योंकि उ. प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1952 की धारा 26 के अधीन, यदि भवन का त्यजन कर दिया जाता है तो स्थल राज्यगामी हो जायेगा; अभिकथित गडदी का त्यजन कर दिया जाने पर, स्थल गांव सभा की सम्पत्ति हो जाने के पूर्व काफी समय तक अस्तित्व रखते थे और किसी विवाद्यक या विषय इस परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा अभिव्यक्त अभिवचन करने को देखते हुए भी मिचली न्यायालय द्वारा विरचित किया गया है।
3. क्योंकि विद्वान अपीलार्थी विवादास्पद आबादी स्थलों की स्वामित्व के बारे में विधि को गलत समझा है। इसको पूर्णतया भ्रमात्मक बना दिया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी जमींदार जमींदारी की समाप्ति के पूर्व स्वामी था, इसलिए वह विवादास्पद का स्वामी है। कोई भी कब्जा या तो कुटुम्ब रजिस्टर से या मतदाताओं के चयन अभिलेख के चयन से सार को दाखिल करके या मौखिक सदस्य द्वारा भी अभिलेख पर स्थापित करके दिया जाता है कि इस प्रकार और ऐसा सेवक पूर्व जमींदार की ओर से उसमें निवास कर रहा है।
4. क्योंकि............. के अन्दर या भूखण्ड सं. ... में नीम वृक्षों को साबित करने का दर्जन प्रतिवादी / अपीलार्थी पर दोषपूर्ण ढंग से रखा गया है । यह वही वादी है जिसको अपने स्वयं के पैर पर खड़ा होना पड़ता है और उसको ही भूमि का सर्वेक्षण करवाना था और न कि प्रतिवादी / अपीलार्थी को विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार न्याय का अभिप्राय रखने में दुःखद तौर पर असफल हो गया।
5. क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर विधि एवं तथ्यों के उपबन्धों के भी अन्यथा विरुद्ध है।
6. क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपवंचनकारी प्रकृति का है और विधिक दृष्टिकोण से कोई निर्णय नहीं है।
7. क्योंकि आवश्यकं पक्षकार होने वाले राज्य एवं गांव सभा के असंयोजन के कारण बुरा होने वाला वाद मात्र इसी एक आधार पर रद्द किया जाने योग्य है और अपील अनुज्ञात की जाय।

**दावाकृत अनुतोष**

अतएव यह सादर प्रार्थना किया जाता है कि अपील अनुज्ञात की जाय तथा वादी/प्रत्यर्थी के वाद विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करके खारिज कर दिया जाय।

**अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता**